(वाद संख्या–1040/4/23/2020)

17.06.2020

प्रसंगाधीन मामला परिवादी गीता देवी के स्वर्गीय पति जगदीश ठाकुर के 31 जनवरी, 1997 को क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, विक्रमगंज, रोहतास के पद से सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भी आज तक उनके भविष्य निधि खाता संख्या HFP/EDN-7168 में जमा राशि का अन्तीम भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है

उक्त के संबंध में जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, रोहतास, सासाराम को कई बार अनुरोध किये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा स्व0 ठाकुर के भविष्य निधि खाता में जमा/निकासी की गयी राशि की विवरणी, भविष्य निधि कार्यालय, रोहतास, सासाराम को उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिस कारण स्व0 जगदीश ठाकुर के भविष्य निधि में जमा/निकासी की गई राशि का अंतिम भुगतान नहीं हो पाया है।

प्रस्तुत मामला एक बहुत ही गंभीर मामला है जो सरकारी कार्यालयों के कार्य शिथिलता को दर्शाता है। करीब 23 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हुए एक सरकारी कर्मी को आज तक उसके भविष्य निधि खाता में जमा राशि का अन्तीम भुगतान, संबंधित निकासी/व्ययन पदाधिकारी के लापरवाही के कारण, नहीं हो पाया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि स्व0 जगदीश ठाकुर की दिनांक 30 जून, 2010 को मृत्यु भी हो चुकी है।

अतः उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, सासाराम से अनुरोध है कि प्रसंगाधीन मामले के संबंधित समस्त कागजातों के साथ दिनांक 08.09.2020 को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति हेतु **जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, रोहतास**, सासाराम व जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को निर्देशित किया जाय तथा उन्हें यह भी निर्देशित किया जाय कि उक्त तिथि के पूर्व स्व0 जगदीश ठाकुर की विधवा, गीता देवी, को अपने स्व0 पति के उक्त भविष्य निधि खाता में जमा राशि का अन्तीम भुगतान करने की कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन आयोग को दिनांक 08.09.2020 को समर्पित करें।

संचिका सुनवाई हेतु दिनांक 08.09.2020 को उपस्थापित की जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक